विविध बैंक प्रकरण सं0 81/2018 (RCMS 2018/00152) आई.डी.बी.आई. बैंक लि., शाखा श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स राजन ट्रांसपोर्ट कम्पनी 2. राजेन्द्र सिंह 3. गुरनाम सिंह निवासी 42, राणा प्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर राजस्थान–335001

28.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित थे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में दिनांक 08.08.2019 को सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2018 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. राजन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, राजेन्द्र सिंह एवं गुरनाम सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 25.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 03.01.2014 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरनाम सिंह की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 42, राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, सक्वेयर नं. 18/19, किला नं 14, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30 गुणा 70 फिट) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 08.07.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.12.2017 को 34,05,192/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.12.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसलिए अप्रार्थी ऋणियों मै राजन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, राजेन्द्र सिंह एवं गुरनाम सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी गुरनाम सिंह की उक्त अचल सम्पति प्लॉट नं. 42, राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, सक्वेयर नं. 18/19, किला नं 14, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30 गुणा 70 फिट) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मै राजन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, राजेन्द्र सिंह एवं गुरनाम सिंह **को 25.00/— (अखरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 03.01.2019 प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरनाम सिंह की उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 42, राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी, स्कवेयर नं. 18/19, किला नं. 14, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 30 गुणा 70 फीट) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 08.07.2015 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.12.2017 को मै. राजन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, राजेन्द्र सिंह, गुरनाम सिंह एवं अमरजीत कौर को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये,** जिसके परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की राजेन्द्र सिंह एवं गुरनाम सिह की धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद पेश की है परन्तु **अप्रार्थीगण को धारा(2) के नोटिस प्राप्त होने की रसीद पेश नहीं की है।** इसके अतिरिक्त **अमरजीत कौर जिसे प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 13(2) का नोटिस भिजवाना अंकित किया है परन्तु उन्हें नोटिस भिजवाने एवं प्राप्ति की रसीद पेश नहीं की है** एवं **पत्रावली में अमरजीत कौर को** पक्षकार भी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नहीं बनाया है तो अमरजीत कौर को किस हैसियत से धारा 13(2) का नोटिस भिजवाया गया है, का जवाब अथवा कोई दस्तावेज प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश नहीं किया है। इसलिए अप्रार्थीगण की तामील पूर्ण नहीं मानी जा सकती है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 42, राणा प्रताप कॉलोनी, चक 3 ई छोटी स्कवेयर नं. 18/19, किला नं. 14, श्रीगंगागनर (क्षेत्रफल 30 गुणा 70 फीट) जो ऋणी श्री गुरनाम सिंह के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.12.2017 की तामील का प्रश्न है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.12.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै. राजन ट्रांसपोर्ट कम्पनी, राजेन्द्र सिंह, गुरनाम सिंह एवं अमरजीत कौर को जारी किया गया है जिनमें से राजेन्द्र सिंह एवं गुरनाम सिंह को धारा 13(2) का नोटिस भिजवाने की पोस्ट आफिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है परन्तु **धारा 13(2) नोटिस की प्राप्ति रसीद प्रार्थी बैंक ने पेश नहीं की है।** इसके अतिरिक्त **अप्रार्थी अमरजीत कौर जिसे धारा 13(2) का नोटिस जारी किया गया है, उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है** एवं उसे नोटिस भेजने एवं प्राप्ति की रसीद भी पेश नहीं की है। अप्रार्थी अमरजीत कौर को किस हैसियत से धारा 13(2) नोटिस भिजवाया गया है, का प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कोई दस्तावेजात/साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसलिए अमरजीत कौर को पक्षकार न बनाने, अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस प्राप्ति की रसीद पेश नहीं करने के कारण, अप्रार्थीगण ऋणियों की तामील पूर्ण नहीं मानी जा सकती है, इसलिए प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी आई.डी.बी.आई. बैंक लि. शाखा, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2018 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **अस्वीकार किया जाता है और प्रार्थी बैंक** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत दिये गये प्रावधनों के अन्तर्गत प्रकरण पुनः पेश करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर